माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर, मंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2019 को सांय 03:00 बजे हुडा कन्वेन्सन हाल, सैक्टर--12, फरीदाबाद के **सभागार में संपन्न जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही :-**

क्र0 सं0	परिवादी का नाम	परिवाद का विवरण	परिवाद का जवाब	बैठक में लिया गया निर्णय बारे
पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद।				
1.	श्री अग्रिम जैन पुत्र श्री एस0सी0 जैन निवासी म0नं0 1061, सेक्टर--14, फरीदाबाद आदि। मो0 नं0 95811888, 9811585579	परिवादीगण की शिकायत है कि श्री मनीष कुमार जो कि Journey Voyages कम्पनी में काम करता है। मेरे से एक लाख रूपए धोखाधडी करके टूर पर जाने के लिए अपने खाता सं0 001134894387 (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक) में पैसे जमा करा लिए। श्री मनीष कुमार ने न तो मेरे पैसे वापिस किये और न ही मुझे ट्रैवल की सुविधा दी। इसकी शिकायत साईबर सैल पुलिस लाईन सै0 30, फरीदाबाद की गई। जिसका कोई समाधान नही हुआ। अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करके मेरी शिकायत का समाधान करे। नोटः--(बैठक दिनांक 10.08.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादीगण हाजिर आये। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस विभाग को इस शिकायत को इक्नोमी सैल में भेजने के आदेश देते हुये इस शिकायत को लम्बित रखने के भी आदेश दिये। (बैठक दिनांक 27.09.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी हाजिर नही हुआ, पुलिस विभाग ने उक्त शिकायत पर कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समय मांगा। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें समय देकर उन्हें शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करके कार्यवाही रिपोर्ट को अगली बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश देते हुए इस शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिए है।	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद द्वारा रिपोर्ट की गई है कि जाँच आर्थिक अपराध शाखा सैन्ट्रल फरीदाबाद द्वारा अमल में लाई गई। जिनकी जांच से परिवाद में जुर्म जैर धारा 406,420 भा.द.स. का सरजद होना पाया जाने पर परिवाद पर अभियोग संख्या 12 दिनांक 05/01/2019 धारा 406, 420 भा.द.स थाना सैन्ट्रल फरीदाबाद में दर्ज रजिस्टर कराया गया । दौराने तफ्तीश मुकदमा में आरोपी मनीष कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी मकान न० 18/186 बी प्रथम तल गढ़ी अमृतपुरी ईस्ट कैलाश दिल्ली के खिलाफ सबूत काबिले गिरफ्तारी गुजरने पर दिनांक 10/07/2019 को नियमानुसार गिरफ्तार किया जा चुका है अभियोग का चालान शीघ्र तैयार करके माननीय न्यायालय में दिया जाएगा ।	परिवादी हाजिर नहीं आया। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस आयुक्त फरीदाबाद की रिपोर्ट से संतुष्ठ होकर इस परिवाद को फाईल करने के आदेश दिए।

2.	श्री पराग अग्निहोत्री निवासी मकान नं0 667, सैक्टर–16ए, फरीदाबाद। मो0 नं0 9811085554, पत्र क्रमांक 4046/ शिकायत दिनांक 12.09.2018 तथा पत्र क्रमांक 4198/ शिकायत दिनांक 13.09.2018 और पत्र क्रमांक 4227/ शिकायत दिनांक 19.09.2018	*The complainant said that I am the victim in the hands of Mohan Dagar and his wife Pushpa Dagar. Pushpa Dagar is a local Counseller and under her influence, the police has cancelled FIR No. 191/2017. You are request to please revoke the cancellation of FIR and may again reinvestigate and take action against Mohan Singh Dagar and others.* **(बैठक दिनांक 27.09.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट)** परिवादी हाजिर आया। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने सहायक पुलिस आयुक्त को स्वंय जांच करने के आदेश पारित किए तथा उन्होने इस शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिए।	पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद द्वारा रिपोर्ट की गई है कि जांच पर पाया गया कि परिवाद के सम्बन्ध में मुकदमा नंबर 191 दिनांक 03/03/2017 धारा 420, 467, 468, 471 भा.द.स थाना शहर बल्लभगढ़ में बरखिलाफ मोहन डागर पुत्र धनसिंह, पुष्पारानी पत्नी मोहन सिंह डागर, राजवती पत्नी चन्द्र गुप्ता व लेखी सिंह पुत्र दयाराम निवासीगण गांव चन्दावली बल्लभगढ़ बाबत मुदई से जालसाजी व धोखाधड़ी करके कागजों पर हस्ताक्षर कराने बारे दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त मुकदमे में अनुसंधान अधिकारी की तफतीश स्थानीय थाना पुलिस द्वारा की गई। तफतीश से मुकदमा में आरोपी पक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे व निराधार पाए गए। जिस पर प्रबन्धक थाना शहर बल्लभगढ़ द्वारा दिनांक 13/07/17 को अखराज रिपोर्ट लिखी जाकर माननीय अदालत में दी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मामले में श्री अमन यादव ह.पु. सहायक पुलिस आयुक्त बल्लभगढ़ द्वारा जांच की गई तथा अभियोग में जिमनी भी दी गई है। इसी सम्बन्ध में मुदई पक्ष व आरोपी पक्ष का पहले ही एक सिविल सूट माननीय अदालत में चल रहा है। परिवादी द्वारा एक Protest Petition माननीय न्यायालय में डाली हुई है, जिसमें आगामी तारीख 26/08/2019 लगी है।	परिवादी हाजिर नहीं आया। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस आयुक्त फरीदाबाद की रिपोर्ट से संतुष्ठ होकर इस परिवाद को फाईल करने के आदेश दिए।